फर्द अहकाम

नारग व अन्य बनाम गोमाराम व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 82/22

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/12/22	व.फ. उप.। जवाब हेतु समय चाहा शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब व बाद तलबी दिनांक 13/01/23 को पेश हो। [signature]	
	13/1/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/2/23 को पेश हो। [signature]	
	16/2/23	वकिलों ... हड़ताल / कार्य स्थगि... पत्रावली गत आज्ञा... 10/3/23 को पे... [signature]	
	10/3/23	वकिलों ... हड़ताल / कार्य स्थगि... पत्रावली गत आज्ञानु... 03/05/23 को पेश ... [signature]	
	03/05/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/05/2023 को पेश हो। [signature]	
	18/05/23	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प कोर्ट ग्राम बिलपुरा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुए, जिनकी पहचान सरपंच ग्राम बिलपुरा द्वारा की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बादपत्र को वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष के अनुसार डिक्री किये जाने बाबत	महावीर नागरिक कानूराम मीणा श्यामलाल रामकी शर्मा [thumb impression] आ.नि. राजेन्द्र मुकेश ओमप्रकाश कमलेश गोपाराम मीणा नेपालचंद भोगीराम मीणा सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

कार्यालय: सहायक कलक्टर, चौमूं

नारि व अन्य बनाम गोमाराम व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष : वाद - 82 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		निवेदन किया। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् न्यायहित में पत्रावली/वादपत्र को डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	अ. नि. नाम सीताराम [हस्ताक्षर]

मुकदमा सं0—82 / 2022
उनवान—नारु वगै0 बनाम गोमाराम वगै0
निर्णय दिनांक—18.05.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—82 / 2022

उनवान

1. नारु पुत्र विशनाराम
2. सीताराम पुत्र विशनाराम
3. नेमीचन्द पुत्र विशनाराम
4. गीता देवी पत्नी जोधाराम
5. योगेन्द्र पुत्र जोधाराम
6. मनीष पुत्र जोधाराम
7. योगेश पुत्र जोधाराम
8. प्रियंका पुत्री जोधाराम
9. सोमारी देवी उर्फ कमला पुत्री विशनाराम
10. आंची देवी पुत्री विशनाराम
11. महेश पुत्र भगवानसहाय माता मोहरी देवी पुत्री विशनाराम
12. संजीव पुत्र भगवानसहाय माता मोहरी देवी पुत्री विशनाराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. गोमाराम पुत्र नानगराम
2. महावीर पुत्र नानगराम
3. मुकेश पुत्र नानगराम
4. प्रभात पुत्र स्व0 शैतान
5. रामकिशोर पुत्र स्व0 शैतान
6. श्यामलाल पुत्र स्व0 शैतान
7. भागीरथ पुत्र स्व0 झूंथा
8. राजेन्द्र पुत्र स्व0 झूंथा
9. कालूराम पुत्र स्व0 झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

11. नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

12. उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

13. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम

14. कमलेश पुत्र गंगाराम

15. महेन्द्र पुत्र गंगाराम

16. कमला देवी पुत्री कालूराम

17. गुल्ली पत्नी ग्यारसा

18. चौथमल पुत्र कालूराम

19. छीतर पुत्र भूरा

20. जगदीश पुत्र रिछपाल

21. जितेन्द्र पुत्र रामकिशोर

22. नारायण पुत्र खांगला

23. बालू पुत्र ग्यारसा

24. बोदूराम पुत्र कालूराम

25. मुरली पुत्र लाला

26. मालीराम पुत्र कालूराम

27. रामू पुत्र लाला

28. ललित कुमार पुत्र रामकिशोर

29. शंकरलाल पुत्र रिछपाल

30. श्रवण पुत्र ग्यारसा

31. संतरा देवी पत्नी रामकिशोर

32. संतोष देवी पत्नी गंगाराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–परफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 38 के खसरा नं0 234 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 235 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 236 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 237 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 238 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 247/953 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 248 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 249

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–82 / 2022
उनवान–नारु वगै0 बनाम गोमाराम वगै0
निर्णय दिनांक–18.05.2023

रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 251 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 252 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 253 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 255 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 256 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 257 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 258 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 267 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 268 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 269 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 270 / 951 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 454 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 515 रकबा 0.43 है0, कुल किता 28 का कुल रकबा 15.94 हैक्टेयर भूमि, हाल खाता सं0 37 के खसरा नं0 239 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 491 रकबा 0.13 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि व हाल खाता सं0 25 के खसरा नं0 243 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.35 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि में से किशना पुत्र काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर विवादित आराजियात के प्रत्येक खाते में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/4 भाग की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे।

डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.05.2023 को जारी किया गया।

4
5.
6.
7.
8.
9. ट
स
10. रा
11. नार
12. उप

मोहर

ओहदा...........

दस्तखत ....

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–82/2022
उनवान–नारु वगै0 बनाम गोमाराम वगै0
निर्णय दिनांक–18.05.2023

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–82 / 2022

उनवान

1. नारु पुत्र विशनाराम
2. सीताराम पुत्र विशनाराम
3. नेमीचन्द पुत्र विशनाराम
4. गीता देवी पत्नी जोधाराम
5. योगेन्द्र पुत्र जोधाराम
6. मनीष पुत्र जोधाराम
7. योगेश पुत्र जोधाराम
8. प्रियंका पुत्री जोधाराम
9. सोमारी देवी उर्फ कमला पुत्री विशनाराम
10. आंची देवी पुत्री विशनाराम
11. महेश पुत्र भगवानसहाय माता मोहरी देवी पुत्री विशनाराम
12. संजीव पुत्र भगवानसहाय माता मोहरी देवी पुत्री विशनाराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गोमाराम पुत्र नानगराम
2. महावीर पुत्र नानगराम
3. मुकेश पुत्र नानगराम
4. प्रभात पुत्र स्व0 शैतान
5. रामकिशोर पुत्र स्व0 शैतान
6. श्यामलाल पुत्र स्व0 शैतान
7. भागीरथ पुत्र स्व0 झूंथा
8. राजेन्द्र पुत्र स्व0 झूंथा
9. कालूराम पुत्र स्व0 झूंथा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. नायब तहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

—प्रतिवादीगण

13. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम
14. कमलेश पुत्र गंगाराम
15. महेन्द्र पुत्र गंगाराम
16. कमला देवी पुत्री कालूराम
17. गुल्ली पत्नी ग्यारसा
18. चौथमल पुत्र कालूराम
19. छीतर पुत्र भूरा
20. जगदीश पुत्र रिछपाल
21. जितेन्द्र पुत्र रामकिशोर
22. नारायण पुत्र खांगला
23. बालू पुत्र ग्यारसा
24. बोदूराम पुत्र कालूराम
25. मुरली पुत्र लाला
26. मालीराम पुत्र कालूराम
27. रामू पुत्र लाला
28. ललित कुमार पुत्र रामकिशोर
29. शंकरलाल पुत्र रिछपाल
30. श्रवण पुत्र ग्यारसा
31. संतरा देवी पत्नी रामकिशोर
32. संतोष देवी पत्नी गंगाराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—परफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :—18.05.2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुरके रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन—पोषण करते चले आ रहे हैं। वाके ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 38 के खसरा नं0 234 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 235 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 236 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 237 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 238 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 247 / 953 रकबा 0.05

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

है0, खसरा नं0 248 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 249 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 251 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 252 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 253 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 255 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 256 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 257 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 258 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 267 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 268 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 269 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 270/951 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 454 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 515 रक़बा 0.43 है0, कुल किता 28 का कुल रकबा 15.94 हैक्टेयर भूमि, हाल खाता सं0 37 के खसरा नं0 239 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 491 रकबा 0.13 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि व हाल खाता सं0 25 के खसरा नं0 243 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.35 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमियों के गत खसरा नं0 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 253, 261, 249, 258, 260, 278, 281, 245, 244, 269, 262 हैं। उक्त वर्णित आराजियात ही वादपत्र में विवादग्रस्त आराजियात है। उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात पूर्व में वादीगण के दादा स्व0 काना पुत्र दीपा के नाम थी, जिनकी मृत्यु होने के उपरान्त उक्त विवादित भूमियां काना पुत्र दीपा के वारिसान हनुमान, किशना, विशना, शैताना, झूंथा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई। जिसका इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 की जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन सम्वत 2030 से 2033 की राजस्व जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा द्वारा खातेदारी भूमि में वादीगण के ताऊ अर्थात वादीगण के पिता/दादा/नाना विशना के भाई किशना जोकि नाऔलाद फौत दिनांक 25.01.2005 को हो चुके थे, का नाम हजफ नहीं करते हुए गलत तरीके से वादीगण के पिता/दादा/नाना विशना का नाम हजफ कर दिया गया, जबकि राजस्व कर्मचारियों को वादीगण के पिता/दादा/नाना विशना का नाम हजफ करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि वादीगण उक्त विवादति आराजियात में अपने पिता के हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी कर रहे हैं। राजसव कर्मचारियों द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के वादीगण के पिता/दादा/नाना विशना का नाम हजफ करते हुए उनके हिस्से की खातेदारी भूमि का गलत रुप से इन्द्राज प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के दादा/पिता के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के नाम गलत रुप से इन्द्राज हो गई जबकि किशना पुत्र काना जोकि नाऔलाद फौत हो चुका था, उसके नाम खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गलत रुप से अंकन किया गया है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों से हुई उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने तथा वादीगण के पिता/दादा/नाना विशना के हक हिस्से की भूमि की घोषणा वादीगण के नाम

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

इन्द्राज दुरुस्ती करवाने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 वादीगण को आश्वासन देते रहे कि हम शीघ्र ही राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाकर विवादित भूमियों में अपने हक हिस्से में से 1/4 भाग की घोषणा आपके हक में करवा देंगे लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 द्वारा वादीगण के बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी खातेदारी भूमि की घोषणा वादी के नाम नहीं करवाई। दिनांक 30.09.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी भूमि की घोषणा करवाने के लिए निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 द्वारा वादीगण को खातेदारी भूमि की घोषणा करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया तथा विवादित भूमियों को अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए शीघ्र ही बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई, जिस कारण वादीगण को उक्त वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

वादीगण द्वारा वादपत्र द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजियात में किशना पुत्र काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर विवादित आराजियात के प्रत्येक खाते में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/4 भाग की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 विवादित आराजियात का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही जबरिया कब्जा करें, ना ही वादीगण के हक के हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करें, ना ही वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित करें। उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कैम्प कोर्ट विमलपुरा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति जताते हुए वादपत्र को वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोषानुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादपत्र घोषणा व दुरुस्ती का है जिसमें वादीगण द्वारा किशना पुत्र काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर विवादित आराजियात के प्रत्येक खाते में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/4 भाग की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरुस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है जिस पर प्रतिवादीगण भी सहमत हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण की पहचान सरपंच ग्राम विमलपुरा द्वारा की गई। न्यायालय अभिमत में वादपत्र को वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोषानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं0—82 / 2022
उनवान—नारु वगै0 बनाम गोमाराम वगै0
निर्णय दिनांक—18.05.2023

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खाता सं0 38 के खसरा नं0 234 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 235 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 236 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 237 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 238 रकबा 1.79 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 247 / 953 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 248 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 249 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 251 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 252 रकबा 1.65 है0, खसरा नं0 253 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 255 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 256 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 257 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 258 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 265 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 266 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 267 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 268 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 269 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 270 / 951 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 454 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 515 रकबा 0.43 है0, कुल किता 28 का कुल रकबा 15.94 हैक्टेयर भूमि, हाल खाता सं0 37 के खसरा नं0 239 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 488 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 489 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 491 रकबा 0.13 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि व हाल खाता सं0 25 के खसरा नं0 243 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.35 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि में से किशना पुत्र काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर विवादित आराजियात के प्रत्येक खाते में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 1 / 4 भाग की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरुस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कैम्प कोर्ट ग्राम विमलपुरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)